	सीएसआईआर-केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन **(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्)** **सैक्टर 30-सी, चण्डीगढ़-160030 (भारत)** **www.csio.res.in**

विज्ञापन सं. 06/2022

ऑनलाइन आवेदन करने की आरंभ तिथि **: 26.09.2022**

ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि **: 25.10.2022 (सायं 5.00 बजे तक)**

सीएसआईआर-केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सीएसआईआर-सीएसआईओ), चण्डीगढ़, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) के अधीनस्थ एक प्रमुख संस्थान है, जो माप-विज्ञान तथा उपकरण-विन्यास प्रौद्योगिकियों पर बल देते हुए विविध वैज्ञानिक क्षेत्रों में मूल एवं अनुप्रयुक्त दोनों प्रकार के बहु-विषयी अनुसंधान एवं विकास कार्यों में संलग्न है। संगठन कृषि उपकरण-विन्यास, जैव-चिकित्सा उपकरण-विन्यास, ऑप्टिकल उपस्कर एवं प्रणालियां, भू-वैज्ञानिक उपकरण-विन्यास, प्रिसीज़न यांत्रिक प्रणालियां, विश्लेषणात्मक तकनीकें तथा अनुसंधान एवं विकास सहायक सुविधाएं, कम्प्यूटेशनल उपकरण-विन्यास आदि क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्यो को समर्पित है। सीएसआईआर-सीएसआईओ के केन्द्र नई दिल्ली व चेन्नै में हैं।

सीएसआईआर-सीएसआईओ में निम्नानुसार प्रशासनिक पदों पर भर्ती के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

क्र.सं	पदनाम एवं श्रेणी	पद कोड	पदों की संख्या आरक्षण सहित	वेतन मैट्रिक्स	प्रतिमाह कुल परिलब्धियां (लगभग)**	अनिवार्य अर्हताएं	अधिकतम आयु सीमा (अतिम तिथि के अनुसार)
1.	कनिष्ठ सचिवालय सहायक (सामान्य) ग्रुप 'सी'	JSAG	02 (यूआर) 01 (ओबीसी)	स्तर-2, सैल-1 (प्रारंभिक मूल वेतन ₹19,900-63,200)	₹35,205/- (चण्डीगढ़ में)	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2/बारहवीं अथवा इसके समकक्ष# तथा समय-समय पर डीओपीटी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कम्प्यूटर पर टंकण गति*** (अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से) तथा कम्प्यूटर चलाने में दक्षता।	**28 वर्ष**
2.	कनिष्ठ सचिवालय सहायक (वित्त एवं लेखा) ग्रुप 'सी'	JSAF	02 (यूआर) 01(एचएच-पीडब्ल्यूडी) (बैकलॉग रिक्ति)	स्तर-2, सैल-1 (प्रारंभिक मूल वेतन ₹19,900-63,200)	₹35,205/- (चण्डीगढ़ में)	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2/बारहवीं अथवा इसके समकक्ष# तथा समय-समय पर डीओपीटी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कम्प्यूटर पर टंकण गति*** (अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से) तथा कम्प्यूटर चलाने में दक्षता।	**28 वर्ष**
3.	कनिष्ठ सचिवालय सहायक (भंडार एवं क्रय) ग्रुप 'सी'	JSAP	02 (यूआर) 01 (पूर्व सैनिक)	स्तर-2, सैल-1 (प्रारंभिक मूल वेतन ₹19,900-63,200)	₹35,205/- (चण्डीगढ़ में)	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2/बारहवीं अथवा इसके समकक्ष# तथा समय-समय पर डीओपीटी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कम्प्यूटर पर टंकण गति*** (अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से) तथा कम्प्यूटर चलाने में दक्षता।	**28 वर्ष**

संक्षेपक : यूआर-अनारक्षित; ओबीसी-अन्य पिछड़ा वग, ईएसएम-पूव सैनिक, एचएच-श्रवण दिव्यांगता

** कुल परिलब्धियों का अर्थ नियमानुसार परिषद् कर्मियों को देय मकान किराए भत्ते एवं अन्य भत्तों सहित संबंधित ग्रेड वेतन के अनुसार दिनांक 01.07.2022 को वेतनमान के न्यूनतम पर अनुमानित कुल परिलब्धियां है।

*** 35 शब्द प्रति मिनट/30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 कुंजी दबाने पर 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच के समरूप है। इसके लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। केडीपीएच से अभिप्राय कुँजी दबाव प्रति घंटा है।

10 वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद पास किया गया तीन वर्ष की अवधि का डिप्लोमा, उन पदो ंके संबंध में बारहवीं कक्षा के समकक्ष माना जाएगा जिनके लिए बारहवीं कक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक याग्यता है। डिप्लोमा जिसे समकक्ष माना जाएगा एक मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम होगा और एक मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा प्रदान किया गया हो।

कार्य अपेक्षा

कनिष्ठ सचिवालय सहायक (सामान्य/वित्त एवं लेखा /भंडार एवं क्रय) : पदधारी को सामान्य प्रशासन वित्त और लेखा/भंडार एवं क्रय के कार्यों में सहायता प्रदान करना अपेक्षित है, साथ ही उन्हें आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर दिए गए अन्य शासकीय कार्य भी करने होंगे।

वांछनीय योग्यता

कनिष्ठ सचिवालय सहायक (सामान्य/वित्त एवं लेखा /भंडार एवं क्रय):

i. नोटिंग और ड्राफ्टिंग का ज्ञान, सार लेखन, भाषा कौशल (मौखिक और लिखित) और रिकॉर्ड रखरखाव का ज्ञान।
ii. एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पॉवर प्वॉइंट और अंग्रेजी और हिंदी दोनों में टाइपराइटिंग के काम करने के लिए कंप्यूटर का ज्ञान

कनिष्ठ सचिवालय सहायक (वित्त एवं लेखा): डेटा विश्लेषण, बैंकिंग पद्धतियों, सामान्य वित्तीय नियमों का ज्ञान।

कनिष्ठ सचिवालय सहायक (भंडार एवं क्रय): राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑनलाइन मार्केटिंग पद्धतियों, सरकारी क्रय नियमावली, इनवेंटरी प्रबंधन का ज्ञान

चयन प्रक्रिया:

1. आवेदनों की स्क्रीनिंग टाइपिंग या लिखित परीक्षा के बाद विज्ञापित मानदंडों के आधार पर इस प्रयोजन के लिए विधिवत गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा आवेदनों की स्क्रीनिंग की जाएगी।
2. टाइपिंग और कंप्यूटर के उपयोग में दक्षता परीक्षण, निर्धारित मानकों के अनुसार

टंकण परीक्षा हेतु विकल्प : उम्मीदवार को आवेदन जमा करते समय यह स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि वह टंकण परीक्षा अंग्रेजी मे देना चाहता है या हिंदी में।

टंकण परीक्षा कम्प्यूटर पर 10 मिनट की होगी तथा अंग्रेजी/हिंदी टंकण परीक्षा का मूल्यांकन वैबसाइट www.onecsir.res.in पर उपलब्ध और समय-समय पर संशोधित सीएसआईआर के दिनांक 13.07.2015 के पत्र सं. 5-1(116)/2011-पीडी में उल्लिखित अनुदेशों (टंकण गति एवं अनुमेय गल्तियों संबंधी) के अनुसार किया जाएगा।

3. लिखित परीक्षा:

कनिष्ठ सचिवालय सहायक (सामान्य), कनिष्ठ सचिवालय सहायक (वि. एवं लेखा) और कनिष्ठ सचिवालय सहायक (एसएंडपी) के पदों के लिए लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम और पैटर्न, सीएसआईआर दिशानिर्देशों के अनुसार परिशिष्ट-I में दिया गया है।

कम्प्यूटर पर टंकण में दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के लिए ही लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी।

या

लिखित परीक्षा पहले आयोजित की जाएगी, उसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग या कंप्यूटर दक्षता परीक्षा आयोजित की जा सकती है जो इस विज्ञापन के प्रति आवेदकों की संख्या के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की जाएगी। हर मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और समय-समय पर संशोधित भर्ती नियमों का अनुपालन किया जाएगा।

लिखित परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे:

प्रश्न पत्र । - बौद्धिक क्षमता

प्रश्न पत्र ।। - सामान्य जागरूकता/अंग्रेजी भाषा।

प्रश्न पत्र । केवल अर्हक प्रकृति का होगा। अंतिम मैरिट सूची लिखित प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्र-।। में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर बनाई जाएगी।

सामान्य सूचना एवं शर्तें:

1. परिषद् सेवा के अंतर्गत लाभ :

क. इन पदों पर सामान्य भत्ते यथा मंहगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए) तथा परिवहन भत्ता(टीए) आदि, जैसा कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय तथा सीएसआईआर में लागू हैं, प्रदान किए जाएंगे। परिषद् कर्मी सीएसआईआर आवास आबंटन नियमावली के अनुसार अपनी पात्रता के अनुसार क्वार्टर उपलब्ध होने पर आवास के हकदार हैं, ऐसे मामले में एचआरए प्रदान नहीं किया जाएगा।

ख. प्रत्येक पद के वर्ग के समक्ष उल्लिखित परिलब्धियों के अतिरिक्त नई पैंशन योजना-2004, चिकित्सा खर्चो की प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत, कम्प्यूटर अग्रिम एवं गृह निर्माण अग्रिम आदि की सुविधाएं सीएसआईआर के नियमों के अनुसार उपलब्ध होंगी।

2. अन्य शर्ते :

1. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. सभी आवेदक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को विज्ञापन में निर्धारित अनिवार्य अर्हताओं और अन्य शर्तो को पूरा करते होने चाहिए। उन्हें परामर्श दिया जाता है कि आवेदन करने से पूर्व वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को विभिन्न पदों के लिए निर्धारित अनिवार्य अर्हताएं पूरी करते हों। पात्रता के संबंध में मांगी गई किसी जानकारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. निर्धारित की गई अनिवार्य अर्हताएं न्यूनतम हैं तथा केवल इन्हें पूरा करने पर उम्मीदवार को ट्रेड टैस्ट/लिखित परीक्षा इत्यादि (जो भी लागू हो) में बुलाए जाने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। विधिवत् गठित संवीक्षा समिति उम्मीदवारों के चयन के लिए स्वयं अपने मानदंड निर्धारित करेगी। अत: उम्मीदवार न्यूनतम निर्धारित अर्हताओं के अतिरिक्त दसवीं एवं बाद की अर्जित समस्त अर्हताओं एवं अनुभव का उल्लेख अपने आवेदन में करें।
4. उम्मीदवार विज्ञापन में दिए गए अनुदेशों को ध्यान से पढ़ने के बाद संगत शैक्षिक अर्हताओं एवं अनुभव संबंधी जानकारी विधिवत् भरकर स्कैन की गई फोटोग्राफ सहित केवल ऑनलाइन मोड में अपलोड करें। निर्धारित अर्हताएं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों इत्यादि से प्राप्त की गई होनी चाहिएँ। अधूरे/अपेक्षित

प्रमाणपत्रों/दस्तावेज़ों के बिना प्राप्त होने वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के समय आवेदक को आवेदन पत्र के साथ कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

5. उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों की विधिवत गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर जांच की जाएगी। केवल चयनित उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र / अनुशंसापत्र, आयु आदि सत्यापन के लिए जमा करने के लिए कहा जाएगा। यदि शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार (उम्मीदवारों) के आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी और बाद में आवेदक द्वारा जमा किए गए प्रमाण पत्र/अनुशंसापत्र आदि के बीच कोई विसंगति पाई जाती है, तो उम्मीदवार का आवेदन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और उम्मीदवार को आगे इस संगठन में आवेदन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

6. अनिवार्य अर्हताओं की समकक्ष शर्त के संबंध में, यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की अपेक्षाओं के अनुसार किसी विशिष्ट शैक्षिक अर्हता को समकक्ष मानते हुए दावा कर रहा है, तो उसे इससे संबंधित आदेश/पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा उस प्राधिकरण का विवरण (संख्या एवं तिथि सहित) भी देना होगा, जिसके अंतर्गत इसे समकक्ष माना गया है अन्यथा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

   10+2/XII अथवा इसके समकक्ष से तात्पर्य है कि भारत अथवा विदेश के मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र कि संबंधित विद्यार्थी ने 12/XII कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है। 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद प्राप्त 3 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा, उन पदों के संबंध में 12वीं कक्षा के समकक्ष माना जाएगा डिप्लोमा, जिसे समकक्ष माना जाना है, एक मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम होगा और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा प्रदान किया गया होगा।

7. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुभव की अवधि को आवेदन पत्र में दर्शाया जाना चाहिए।

8. यदि कोई प्रमाणपत्र/दस्तावेज़ हिंदी अथवा अंग्रेजी से इतर किसी अन्य भाषा में दिया जा रहा है तो राजपत्रित अधिकारी अथवा नोटरी द्वारा साक्ष्यांकित उसकी अंग्रेजी अथवा हिंदी प्रति साथ में संलग्न की जाए।

9. अधिकतम आयु सीमा, योग्यता एवं/अथवा अनुभव निर्धारित करने की तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी।

10. संबंधित विषय/कार्य के क्षेत्र में अनुभव की अवधि, जहां निर्धारित है, की गणना उस ग्रेड के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने की तिथि से की जाएगी।

11. भारत सरकार (जीओआई) द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने वाले दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, बशर्ते कि पद पीडब्ल्यूबीडी के लिए उपयुक्त हो।

12. संस्थान लिंग अनुपात आधारित जनशक्ति स्थापित करने के लिए प्रयासरत है, अत: महिला कर्मियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

13. चयनित उम्मीदवार संस्थान में पद ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन होंगे। परिवीक्षा अवधि को सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने पर मौजूदा नियमों के अनुसार उनकी सेवा के स्थायीकरण पर विचार किया जाएगा।

14. राजभाषा नियमों के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि के दौरान हिंदी का ज्ञान प्राप्त करना होगा।

15. परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर भी यह नियुक्ति किसी भी समय नियोक्ता अथवा नियुक्त कर्मी द्वारा एक माह के नोटिस पर बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है। हालांकि नियोक्ता प्राधिकरण तत्काल अथवा नोटिस की निर्धारित अवधि के समाप्त होने से पूर्व नोटिस की अवधि अथवा इसके शेष भाग के समय के वेतन व भत्तों का भुगतान करके नियुक्त कर्मी की सेवाओं को समाप्त कर सकता है।

16. परिषद् की सेवा के दौरान भारत में कहीं भी स्तानांतरण किया जा सकता है। सीएसआईआर-सीएसआईओ जनहित में किसी भी कर्मी को एक प्रयोगशाला/संस्थान से दूसरे में या उसके किसी विस्तार/क्षेत्रीय केन्द्र में

स्थानांतरित कर सकता है। निदेशक, सीएसआईआर-सीएसआईओ किसी भी कर्मचारी को संगठन/प्रयोगशाला मुख्यालय से इसके विस्तार/क्षेत्रीय केन्द्र या विलोमत: स्थानांतरित कर सकते हैं।

17. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के प्रावधान तथा परिषद् कर्मियों पर लागू समय-समय पर प्राप्त होने वाले ऐसे कोई अन्य नियम या निष्पादन आदेश लागू होंगे जिनकी नियुक्ति के संबंध में प्रयोज्यता होगी तथा उनकी प्रयोज्यता के संबंध में परिषद् का निर्णय अंतिम होगा।

18. चयन किए गए उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि के दौरान सीएसआईआर-सीएसआईओ में अथवा कहीं और नियुक्ति के लिए आवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि उन्होंनें पहले ही किसी अन्य संगठन में किसी पद के लिए आवेदन दिया है तो उन्हें ऐसे आवेदनों का विवरण इस संस्थान में कार्यग्रहण के तत्काल बाद देना होगा।

19. किसी विशेष पद को न भरने का अधिकार सीएसआईआर-सीएसआईओ के पास सुरक्षित है। उपरोक्त उल्लिखित रिक्तियों की संख्या अनंतिम हैं तथा इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। तथापि, हमारी आवश्यकता के अनुसार इनमें यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना हमारी वैबसाईट पर दी जाएगी।

20. विज्ञापन में विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किए गए विषय पर निदेशक, सीएसाआईआर-सीएसआईओ का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

21. पात्रता, आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, चयन की पद्धति, परीक्षा लेने संबंधी सभी मामलों में सीएसआईआर-सीएसआईओ के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा।

22. किसी भी प्रकार के पक्ष-प्रचार तथा/अथवा राजनैतिक या अन्यथा किसी भी प्रकार की सिफारिश को पद के लिए अयोग्यता माना जाएगा।

23. किसी भी प्रकार की अंतरिम पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

24. अद्यतन जानकारी (स्क्रीनिंग सूची, परीक्षा की तिथि, टंकण परीक्षा, कम्प्यूटर परीक्षा, लिखित परीक्षा) के लिए नियमित तौर पर सीएसआईआर-सीएसआईओ की वैबसाइट www.csio.res.in देखें। इस भर्ती के संबंध में सीएसआईआर-सीएसआईओ की ओर से किसी प्रकार के संप्रेषण के लिए अपनी पंजीकृत ई.मेल भी देखते रहें।

3. आयु सीमा एवं छूट :

क. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से कम तथा विनिर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। विभागीय उम्मीदवारों (नियमित सीएसआईआर कर्मचारी) के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, बशर्ते कि वे निर्धारित योग्यताएं पूरी करते हों।

क्रमांक	**श्रेणी**	**ऊपरी आयु सीमा से अधिक अनुमेय आयु-छूट**
01	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
02	ओबीसी	3 वर्ष
03	पीडब्ल्यूडी (अनारक्षित)	10 वर्ष
04	पीडब्ल्यूडी (ओबीसी)	13 वर्ष
05	पीडब्ल्यूडी (एससी/एसटी)	15 वर्ष
06	भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम)	समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के आदेशों के अनुसार, अंतिम तिथि को वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा की कटौती के 3 वर्ष बाद।
07	भूतपूर्व सैनिक (ओबीसी/एससी/एसटी)	समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के आदेशों के अनुसार अंतिम तिथि को वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा में कटौती के बाद 6/8/8 वर्ष

समूह (सी) पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अतिरिक्त अनुमेय छूट

08	विधवाएं/तलाकशुदा/पति से कानूनी रूप से अलग महिलाएं जिनका पुनर्विवाह नहीं हुआ है	35 वर्ष की आयु तक
09	विधवाएं/तलाकशुदा/पति से कानूनी रूप से अलग महिलाएं जिनका पुनर्विवाह नहीं हुआ है (ओबीसी)	38 वर्ष की आयु तक
10	विधवाएं/तलाकशुदा/पति से कानूनी रूप से अलग महिलाएं जिनका पुनर्विवाह नहीं हुआ है (एससी/एसटी)	40 वर्ष की आयु तक

ख. एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल) के लिए आयु सीमा में छूट भारत सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी, बशर्ते की पद उस वर्ग के लिए आरक्षित हो। आयु में छूट एससी/एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए 10 साल होगी। भारत सरकार में पदों पर नियुक्ति के लिए आयु में छूट के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा करने की शर्त पर होगी।

ग. अनारक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले एससी/एसटी/ओबीसी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट की अनुमति नहीं है।

घ. ओबीसी के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की मांग करने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र है और वह महत्वपूर्ण तिथि यानी ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता है। ओबीसी उम्मीदवार की पात्रता भारत सरकार की केंद्रीय सूची में शामिल जातियों के आधार पर होगी। ओबीसी उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं होना चाहिए। उनकी उप-जाति अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में प्रविष्टियों के साथ मेल खाना चाहिए, ऐसा न होने पर उनकी उम्मीदवारी पर किसी भी आरक्षित श्रेणी के तहत विचार नहीं किया जाएगा और अन्यथा पात्र होने पर उन्हें अनारक्षित माना जाएगा।

ड. भारत सरकार के प्रावधानों के अनुसार विधवाओं तथा पति से कानूनी रूप से अलग हुई महिलाओं को, जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो, ऊपरी आयु में उनके 35 वर्ष (अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए 38 वर्ष तथा एससी/एसटी वर्ग के लिए 40 वर्ष, जहां उनके लिए पद आरक्षित हों) के होने तक की छूट प्राप्त है। इस श्रेणी के तहत आयु सीमा में छूट का दावा करने वाली महिलाओं को निम्नलिखित दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे :

I) विधवा के मामले में, पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं शपथ-पत्र कि उसके बाद पुनः विवाह नहीं किया है।

II) तलाकशुदा महिलाओं तथा पति से कानूनी रूप से अलग हुई महिलाओं के मामले में तलाक या कानूनी रूप से अलग होने के प्रमाण के तौर पर कोर्ट के निर्णय/डिक्री की प्रमाणित प्रति के साथ इस आशय का शपथ-पत्र कि तब से उन्होंने पुनः विवाह नहीं किया है।

च. दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) व्यक्तियों के लिए आयु में छूट : नेत्रहीन, मूक-बधिर एवं ऑर्थोपेडिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों और केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार विनिर्दिष्ट अन्य अपंगताओं के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट लागू होगी (ओबीसी के लिए कुल 13 और एससी/एसटी के लिए कुल 15 वर्ष), बशर्ते कि निर्णायक तिथि को आवेदक की अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक न हो। इस उप-पैरा के अंतर्गत आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाणपत्र देना होगा कि उनकी शारीरिक अपंगता 40 प्रतिशत या अधिक है। किसी भी स्थिति में ऐसे उम्मीदवारों की नियुक्ति इस

शर्त पर होगी कि वे प्रत्येक संगत ग्रुप के पदों पर चयन द्वारा सीधी भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मेडिकल फिटनेस के मानदंडों के अनुसार चिकित्सीय दृष्टि से स्वस्थ हों।

बैचमार्क दिव्यांगता वाले (पीडब्ल्यूबीडी) व्यक्तियों के लिए आरक्षण : (हॉरिजॉण्टल आरक्षण)

(1) आरक्षण के लिए बैचमार्क दिव्यांगता की सीमा तथा दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी : पदों पर आरक्षण/शर्तो में छूट के लिए केवल वे ही व्यक्ति पात्र होंगे जिनकी संबंधित बैंचमार्क दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो। इस प्रकार की छूट तथा/अथवा आरक्षण प्राप्त करने वाले दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के अध्याय 7 के तहत नियम 18(1) के फॉर्म V, VI तथा VII के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके संशोधित प्रारूप के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 15.06.2017 के अनुलग्नक IV, IV (A) तथा IV (B) देखें।

(2) **कनिष्ठ सचिवालय सहायक (वित्त और लेखा)/कनिष्ठ सचिवालय सहायक (सामान्य)/कनिष्ठ सचिवालय सहायक (भंडार एवं क्रय)** के पद के लिए पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए अनुमेय विकलांगता : एक बाजू प्रभावित (ओए), दोनों टांगे प्रभावित (बीएल), एक टांग प्रभावित (ओएल), एक बाजू और एक टांग प्रभावित (ओएएल), दृष्टिहीन (बी), कम दिखना (एलवी) और श्रवण दिव्यांगता (एचएच)।

<u>आरक्षण/छूट का लाभ लेने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों के लिए विशेष नोट :</u>
सभी उम्मीदवार जो ईडब्ल्यूएस/एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी के तहत आरक्षण/छूट के इच्छुक हैं सुनिश्चित करें कि वे नियमों/नोटिस में विहित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/छूट के पात्र हैं। उनके पास उनके दावे के समर्थन में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र उसी प्रारूप में उपलब्ध होने चाहिए जैसाकि नियमों/नोटिस में दिया गया है तथा वे उन्हें, विहित प्रारूप में प्रस्तुत करेंगे जब संस्थान द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र मांगे जाएँगे। अन्यथा उनके ईडब्ल्यूएस/एससी/एसटी/ओबीसी/ पीडब्ल्यूबीडी के तहत आरक्षण/छूट के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी/आवेदन पर सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में ही विचार किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी कोटे के तहत नियुक्त उम्मीदवारों को एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/अनारक्षित(यूआर) की सम्बद्ध श्रेणी के प्रति समायोजित कर दिया जाएगा।

छ. **पूर्व-सैनिकों के लिए आरक्षण :** (हॉरिजाण्टल आरक्षण)
छूट एवं रियायतें : पूर्व-सैनिकों को आयु एवं शैक्षिक अर्हताओं में छूट समय-समय पर संशोधित होने वाले भारत सरकार एवं सीएसआईआर के आदेशों के अनुरूप दी जाएगी।

(1) पूर्व सैनिकों और ईसीओ/एसएससीओ सहित कमीशन्ड अधिकारियों को ऊपरी आयुसीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, बशर्ते कि पूर्वसैनिक ने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को सुरक्षा बलों में सेवा शपथग्रहण के उपरांत कम से कम 6 महीने की सतत् सेवा की हो।

नोट : ऐसे पूर्व-सैनिक, जिसे केन्द्र सरकार में पहले की सिविल सेवा में नौकरी मिली हो, को आयु सीमा में वही छूट प्रदान की जाएगी जो पूर्व-सैनिकों को केन्द्र सरकार में किसी उच्च पद पर अन्य नौकरी अथवा सेवा प्राप्त करने के लिए देय होती है। हालांकि, इस प्रकार के उम्मीदवार केन्द्र सरकार की नौकरियों के लिए आरक्षण, यदि कोई हो तो, के पात्र नहीं होंगे।
(2) उपर्युक्त 1 के अनुसार छूट प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें सुरक्षा बलों से कार्यमुक्त कर दिया गया है। पूर्व सैनिकों और ईसीओ/एसएससीओ सहित कमीशन्ड अधिकारियों

के मामले में यह प्रमाणपत्र उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए तथा इसमें उनके द्वारा रक्षा बलों में की गई सेवा की अवधि का उल्लेख भी होना चाहिए।

एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी/ईडब्ल्यूएस/एक्स-सर्विसमैन वर्ग के उम्मीदवारों को संबंधित श्रेणी के लिए आरक्षित पदों के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर संबंधित प्रमाणपत्र विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करना होगा।

पूर्व-सैनिकों के लिए ऊपरी आयुसीमा में आवेदन करने की अंतिम तिथि को उनकी वास्तविक आयु में से उनके द्वारा सेना में की गई वास्तविक सेवा की अवधि को घटाकर छूट दी जाएगी तथा इसके अनुसार निर्धारित की गई आयु संबंधित पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष (ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 6 वर्ष एवं एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 8 वर्ष) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नोट I : ऐसे पूर्व-सैनिक, जिसे केन्द्र सरकार में पूर्व-सैनिकों दिए जाने वाले आरक्षण के अंतर्गत पहले ही सिविल सेवा में ग्रुप 'सी' एवं 'डी' के पदों पर नियमित नौकरी मिली हो, को पूर्व-सैनिक श्रेणी में आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा, तथापि उन्हें केवल आयु सीमा में छूट देय होगी।

नोट II : पूर्व सैनिक द्वारा सेना में की गई ''कॉल अप सर्विस'' को भी आयु सीमा में छूट के लिए सेवा माना जाएगा।

नोट III : संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी कर्मी को आरक्षण के लाभ के लिए पूर्व-सैनिक माने जाने के लिए यह जरूरी है कि पद/सेवा के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय उसने पूर्व-सैनिक का स्थान अर्जित कर लिया हो तथा/अथवा वह सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेज़ी साक्ष्य लेकर प्रस्तुत करेगा कि वह निर्धारित अवधि अर्थात् आवेदन की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूर्व-सैनिक का स्थान अर्जित कर लेगा।

नोट IV : पूर्व सैनिक अथवा दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवार, जो आयु सीमा, अर्हताओं व लिखित परीक्षा आदि के आधार पर योग्य होंगे, को आरक्षित श्रेणी में गिना जाएगा न कि सामान्य वर्ग के पदों पर, बशर्ते कि वे चयन के योग्य हों। पूर्व सैनिकों के मामलों में, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए पूर्व सैनिकों की आयु में कटौती की अनुमति है और इस तरह की छूट को आयु के संबंध में छूट नहीं माना जाएगा।

नोट V : पूर्व-सैनिकों को वेतन-सुरक्षा का लाभ देय नहीं होगा।

स्पष्टीकरण I : पूर्व-सैनिक का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति, जिसने भारत संघ की थल सेना, नौसेना, वायु सेना में लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में किसी भी रैंक में सेवा की हो तथा पेंशन लाभ प्राप्त करने के बाद वह सेवानिवृत्त हुआ हो। इसमें वह व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्होंने स्वयं अपने अनुरोध पर सेवानिवृत्ति ली हो और पेंशन अर्जित की हो ; अथवा (1) जिसे सेना से सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर/उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के आधार पर हटाया गया हो और उसे चिकित्सा अथवा अन्य किसी प्रकार की दिव्यांगात पेंशन जारी की गई हो ; अथवा (2) प्रतिष्ठान में छंटनी के कारण विनिर्दिष्ट अवधि की सेवा पूरी करने के बाद सेवा से हटाया गया हो, बशर्ते कि उसे उसके अनुरोध पर हटाया न गया हो अथवा कदाचार या अदक्षता के कारण पदच्युत या बरखास्त न किया गया हो तथा साथ ही उसे ग्रेच्युटी प्रदान की गई हो; तथा इसमें निम्नलिखित श्रेणियों की प्रादेशिक सेना के कार्मिक भी शामिल होंगे : (क) सतत् सन्निहित सेवाओं के पेंशन धारक (ख) सैन्य सेवा के कारण दिव्यांग कार्मिक ; तथा (ग) शौर्य पुरस्कार विजेता।

स्पष्टीकरण II : संघ की सशस्त्र सेनाओं में कार्यरत कार्मिक, जो सेवा से सेवानिवृत्ति पर पूर्व-सैनिक की श्रेणी में आएंगे, उन्हें नियुक्ति की निर्धारित अवधि के पूरा होने से एक वर्ष पूर्व पुनर्रोजगार के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी तथा वे पूर्व-सैनिकों को देय समस्त छूटों का लाभ भी प्राप्त कर सकंगे, परन्तु संघ की सशस्त्र सेनाओं में उनकी सेवा की निर्धारित अवधि तक उन्हें सेवा छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

नोट VI : पूर्व-सैनिकों के बेटों, बेटियों और आश्रितों को आयु में छूट नहीं दी जाएगी।

पूर्व-सैनिक उम्मीदवारों के मामले में आवेदन पत्र के कॉलम में उन्हें अपनी डिस्चार्ज बुक/प्रमाणपत्र की साक्ष्यांकित प्रति की संख्या/तिथि (कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी) अंकित करनी होगी।

4. <u>आवेदन कैसे करें :</u>

1. योग्य उम्मीदवार हमारी वैबसाइट **<u>http://www.csio.res.in</u>** के माध्यम से केवल **<u>ऑनलाइन</u>** आवेदन करें। उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट आउट या अन्य कोई दस्तावेज सीएसआईआर-सीएसआईओ में डाक द्वारा या स्वयं आकर जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अन्य दस्तावेजों सहित अपने ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट संदर्भ और आगामी सत्यापन के लिए अपने पास रखें। ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्र के साथ कोई भी दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

2. यदि उम्मीदवार का वैध ई.मेल आई.डी. नहीं है तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व उसे नया वैध ई.मेल आई. डी. बनाना होगा।

3. ऑनलाइन आवेदन सीएसआईआर-सीएसआईओ वैबसाइट **http://www.csio.res.in** पर विज्ञापन के पहले पृष्ठ पर उल्लिखित तिथि तक **सायं 5.00 बजे** तक भरा जा सकेगा।

4. **आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 25.10.2022 शाम 5.00 बजे तक है।**

5. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

6. उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, पदों के लिए विचारार्थ अपनी अधिमानता का क्रम अंकित करें। पदों का अंतिम आवंटन उम्मीदवारों द्वारा दिए गए पदों की योग्यता-सह-अधिमानता के अनुसार, पद के लिए उनकी पात्रता के आधार पर, चयन समिति द्वारा तय किया जाएगा।

7. सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए रु.500/- (मात्र पॉच सौ रुपए) + जीएसटी का ऑनलाइन आवेदन शुल्क लागू है, जोकि अप्रतिदेय है। फीस केवल **स्टेट बैंक कलैक्ट** पर ऑनलाइन जमा की जाए। फीस के सफल भुगतान के बाद जारी हुई ट्रांसैक्शन संख्या ऑनलाइन आवेदन में भरी जानी आवश्यक है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ई.रसीद डाउनलोड करें तथा अपने पास सम्भाल कर रखें। ऑनलाइन फीस जमा कराने का तरीका सीएसआईआर-सीएसआईओ वैबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अनुदेशों में अंकित है।

   पूर्व सैनिक/एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/महिला/नियमित सीएसआईआर कर्मचारियों को आवेदन शुल्क में छूट होगी।

8. सीजीपीए/एसजीपीए/ओजीपीए ग्रेड आादि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के मामले में उम्मीदवारों से अनुरोध है कि अपने विश्वविद्यालय/संस्थानों के नियमों के तहत दिए गए फार्मूले के अनुसार इसे प्रतिशत में बदलकर लिखें।

9. **'सबमिट बटन'** पर क्लिक करने के बाद प्रदर्शित पृष्ठ पर जारी किया गया **'आवेदन फार्म नम्बर'** प्राप्त होने पर ऑनलाइन आवेदन सफल माना जाएगा। कृपया इसे सावधानीपूर्वक नोट करके अपने पास रखें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आवेदन को दोबारा प्रिंट नहीं कर पाएंगे।

10. प्रस्तुत किया गया आवेदन वापिस नहीं लिया जा सकता तथा जमा की गई फीस की राशि भी किसी भी स्थिति में लौटाई नहीं जा सकती, न ही इसे किसी अन्य भर्ती या चयन प्रक्रिया के लिए रिज़र्व में रखा जा सकता है।

11. **इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंत में हडबड़ी से बचने के लिए समय पर आवेदन करें तथा यह अधिसूचित किया जाता है कि ऑनलाइन तकनीकी कारणों/समस्याओं के आधार पर अंतिम तिथि बढ़ाई नहीं जाएगी।**

12. **सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के आवेदनों पर तभी विचार किया जाएगा जब उचित माध्यम से व नियोक्ता द्वारा इस प्रमाण पत्र के साथ अग्रेषित किए गए हों कि चयन की स्थिति में आवेदक को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के दो महीने के भीतर कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। साथ ही विजिलेंस क्लीयरेंस भी दर्ज किया जाए। हालांकि, आवेदन की अग्रिम प्रति अंतिम तिथि से पहले जमा की जा सकती है।**

13. **उचित माध्यम से किए गए आवेदन टाइप टेस्ट की निर्धारित तिथि से कम से कम 15 दिन पहले प्रशासन नियंत्रक, सीएसआईआर-केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, सेक्टर 30-सी, चंडीगढ़-160030 तक पहुंच जाने चाहिए।**

14. अपूर्ण (अर्थात् फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/लागू शंसापत्रों/आवेदन शुल्क (जहाँ भी लागू हों) आदि अपलोड के बिना} आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इन्हें तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

15. ऑनलाइन आवेदन फार्म सफलतापूर्वक जमा करने के बाद उसकी किसी भी प्रकार की वापसी/आशोधन/रद्द होने की अनुमति नहीं है।

16. यदि आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी और बाद में जमा किए गए दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

17. सभी उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने अपने निर्धारित प्रमाणपत्रों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित आयु, योग्यता, अनुभव, जाति/आरक्षित श्रेणी की स्थिति के संदर्भ में सभी आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा किया है, ऐसा न करने पर उम्मीदवारी को रद्द माना जाएगा। उम्मीदवारों द्वारा गलत दी गई कोई भी जानकारी/दस्तावेज जोकि बाद की तारीख में सत्यापित किया गया, उम्मीदवारों द्वारा गलत दी गई कोई भी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए किसी भी कानूनी कार्रवाई के बावजूद, उनकी उम्मीदवारी रद्द् कर दी जाएगी।

18. इसके अतिरिक्त, आवेदन पत्र में झूठी गलत या गलत जानकारी देना आवेदन प्रक्रिया का उल्लंघन होगा।

नोट: इस विज्ञापन के अंग्रेज़ी संस्करण और उसके हिन्दी अनुवाद में कोई विसंगति पाए जाने पर अंग्रेज़ी संस्करण ही मान्य होगा।

प्रशासन नियंत्रक

परिशिष्ट–I

<u>लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम/प्रारूप</u>

पद का नाम : कनिष्ठ सचिवालय सहायक (सामान्य अथवा वित्त एवं लेखा अथवा भण्डार एवं क्रय)

लिखित परीक्षा का विवरण : इस पद हेतु ली जाने वाली परीक्षा में दो पेपर होंगे (पेपर–1 और पेपर–2)। केवल उन्हीं उम्मीदवारों का दूसरा पेपर चैक किया जाएगा जो पहले पेपर में न्यूनतम निर्धारित अंक (चयन समिति द्वारा निर्धारित) प्राप्त करेंगे। प्रश्न पत्र I केवल अर्हक प्रकृति का होगा। अंतिम मैरिट सूची लिखित प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्र–II में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर बनाई जाएगी।

परीक्षा प्रणाली	ओएमआर आधारित अथवा कम्प्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ बहु विकल्प चयन परीक्षा
प्रश्नों का माध्यम	अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर अन्य प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनो भाषाओं में होंगे
परीक्षा का स्तर	12वीं कक्षा
कुल प्रश्न	200
कुल आबंटित समय	2 घंटे 30 मिनट

पेपर–1 (आबंटित समय – 90 मिनट)

विषय	**कुल प्रश्न**	**अधिकतम अंक**	**नेगेटिव अंक**
बौद्धिक क्षमता परीक्षा*	100	200 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए दो अंक)	इस पेपर में नेगेटिव अंकन नहीं होगा

* बौद्धिक क्षमता परीक्षा में सामान्य विज्ञता, मात्रात्मक कौशल, तार्किक योग्यता, समस्या समाधान, स्थितिपरक निर्णय आदि शामिल किए गए हैं।

पेपर–2 (आबंटित समय– 1 घंटा)

विषय	**कुल प्रश्न**	**अधिकतम अंक**	**नेगेटिव अंक**
सामान्य जागरूकता	50	150 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जाएगा
अंग्रेजी भाषा	50	150 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जाएगा

प्रशासन नियंत्रक